राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्व निगरानी संख्या 4758/2004/जोधपुर जयनारायण एवं अन्य बनाम प्रेमसिंह व अन्य

निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2020	**एकलपीठ** **मोडू दान देथा, सदस्य** **उपस्थित :** **श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ अभिभाषक निगरानीकार** **श्री गिरीश पारीक वकील गैर निगराकार** **श्री ओ0पी0 भट्ट उप राजकीय अभिभाषक** प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है जिला कलक्टर जोधपुर को तहसीलदार जोधपुर ने रेफरेन्स प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर ने दिनांक 15.01.2002 को रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल को अग्रेषित किया राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 23.03.2004 द्वारा रेफरेन्स को पुनः जिला कलक्टर को प्रतिप्रेषित किया। जिला कलक्टर को आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जो जिला कलक्टर ने खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई। विद्वान वकुलाय की बहस सुनी गई। निगराकार के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि माननीय मण्डल ने भूमि के सहकाश्तकारों को सुनवाई का निर्देश देने का आदेश दिया था अतः हम क्रय से सहकाश्तकार है तथा हमने पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है एवं हमारा नाम नामान्तकरण से जमाबंदी में है। हमें पक्षकार बनाना चाहिये था जो नहीं बनाकर त्रुटि की है। विक्रेता विक्रय पश्चात विक्रय रकबे के बारे में निष्किय हो सकता है अथवा दुरभिसंधि कर जटिलता उत्पन्न कर सकता है अतः हम पक्षकार बनाए ताकि हमें सुनवाई का अवसर मिले हमारा नाम नामान्तकरण होकर अभिलेख में नाम आ चुका है लिखमाराम के वारिसान को रेकर्ड पर लिये बिना इस संबंध में तहसीलदार के प्रार्थना पत्र के बिना प्रकरण को अंतिम बहस में डाल दिया है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी श्री गिरीश पारीक ने बहस से सहमति व्यक्त की। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र सही खारिज हुआ है। विक्रेता पक्षकार है और क्रेता का स्त्रोत विक्रेता है। यह कोई कायम मुकाम नहीं है जो रिकार्ड पर लिया जावे। इस तरह से	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तहीन श्रृंखला और पक्ष बहुलता प्रकरण को जटिल बनाकर न्याय में देरी करेगी सब कार्यवाही विधिपूर्ण हो रही है कोई देरी नहीं हो रही है यह स्वयं अनावश्यक प्रार्थना पत्र लगाकर प्रकरण लंबा कर रहे है। अतः निगरानी खारिज की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान वकुलाय के कथनों पर मनन किया। जिला कलक्टर ने यह कहते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है कि क्रेता आवश्यक पक्षकार नहीं है क्योंकि इनके हित पूर्व खातेदारों के हित से प्रभावित रहेंगे। निगरानी में कायम मुकाम का बिन्दु उठाया गया है कि लिछमाराम का देहान्त हो चुका है उसके कायम मुकाम को पक्षकार नही बनाया है। जिला कलक्टर ने लिछमाराम के कायम मुकाम हेतु अपने आदेश मे निर्देश दिया है कि कार्यवाही की जावे। क्रय पंजीकृत दस्तावेज से होकर नामान्तकरण स्वीकृत होने का कथन है तहसीलदार ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र 29.03.2000 को प्रस्तुत किया तथा 15.01.2002 को रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित हुआ। माननीय मण्डल ने दिनांक 23.03.2004 को कलक्टर जोधपुर को प्रेषित कर निर्देश दिया कि अतः यह रेफरेन्स प्रकरण पुनः जिला कलक्टर, जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे इस पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि के सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर दिया गया अथवा नहीं, इस तथ्य की जांच करें एवं समस्त आवश्यक पक्षकारों को सुनने के पश्चात दुबारा तीन माह के अन्दर अपना निर्णय नये सिरे से पारित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वह जिला कलक्टर, जोधपुर के न्यायालय में दिनांक 19–5–04 को उपस्थित होवें। जिला कलक्टर के निर्णय अनुसार इनके हित पूर्व खातेदारों से प्रमाणित होंगे प्रार्थना पत्र अनुसार क्रय 31.03.1999 का है तथा नामान्तकरण हो चुका है। तथा प्रार्थी का कथन है कि विक्रेता अब विक्रय किए गए रकबे के बारे में निष्क्रिय रह सकता है अथवा दुरभिसंधि द्वारा या अन्यथा कोई जटिलता पैदा कर सकता है। किन्तु जिसे पक्षकार बनाया जाना था उसका स्वयं का कोई प्रार्थना पत्र नहीं था और न ही उसने यहां अपील की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र	

पर कार्यवाही क्रेता को सुनकर तथा जमाबंदी व बिकावनामा का अवलोकन कर की जाना उचित रहता है तभी प्रकरण सम्यक रूप से निस्तारण की ओर होना तथा जटिलता रहित होना प्रतीत होना रहता है ऐसी स्थिति में आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र के निर्णय की सीमा तक निर्णय निरस्त कर निर्देश दिए जाते है कि वर्तमान निगरानीकार कलक्टर जोधपुर को अद्यतन जमाबंदी की प्रति एवं विक्रय पत्र की प्रति तथा प्रार्थन पत्र में कथित क्रेताओं के रजिस्टर्ड पते की सूचना मय साधारण एवं रजिस्टर्ड दोनो नोटिसों के दिनांक 21.04.2020 तक प्रस्तुत कर देता है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को तलब कर तथा क्रेता व पक्षकारों को सुनकर प्रार्थना पत्र पर पुनः विधि अनुसार जैसा उचित समझे वैसा निर्णय पारित करें। यदि जिला कलक्टर क्रेता को पक्षकार बनाना उचित समझते तो भी वह आगे की कार्यवाही में ही भाग ले सकेगा।

उपरोक्तानुसार यह निगरानी आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तथा कायम मुकाम के बारे में निगरानीधीन आदेश में निर्देश होने से अस्वीकार कर निगरानी समग्र रूप से आंशिक रूप से स्वीकार कर निस्तारित की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडू दान देथा)
सदस्य